

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-4
संख्या-4636/77-4-23-32 रिट/21
लखनऊ: दिनांक 07 अगस्त, 2023

वैभव गोयल पुत्र श्री गोपाल चन्द्र अग्रवाल, निवासी-बी-322, सेक्टर-बी महानगर,
लखनऊ

बनाम

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मैनेजिंग डायरेक्टर, यू0पी0सीडा, कानपुर।
2. रीजनल मैनेजर, रीजन आफिस, यू0पी0सीडा, एच.आई.जी.-66, सेक्टर-ई, अलीगंज,
लखनऊ।

यू0पी0सीडा द्वारा भूखण्ड संख्या-सी-2 औद्योगिक विकास क्षेत्र कुर्सी रोड, बाराबंकी श्री वैभव गोयल को दिनांक 15.02.2003 को पेट्रोल पम्प की स्थापना के लिए आवंटित की गई थी। उपरोक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल-2531.60 वर्गमीटर है। आवंटी द्वारा भूखण्ड दिनांक 29.03.2003 को क्रय किया गया था तथा कब्जा दिनांक 18.08.2003 को प्रदान किया गया। पट्टे की शर्तों के अनुसार डीड निष्पादन 9 माह के अन्दर निर्माण प्रारम्भ करते हुये 18 माह के अन्दर प्रोजेक्ट को क्रियाशील किया जाना था। परन्तु पेट्रोल पम्प आज की तिथि तक लगभग 20 वर्षों के उपरान्त भी स्थापित/क्रियाशील नहीं किया जा सका है। प्राधिकरण द्वारा आवंटी को दिनांक 23.10.2006, 05.04.2007 एवं 18.04.2017 तथा 20.02.2019 को नोटिस निर्गत किया गया। आवंटी के ऊपर कुल-27.81 लाख की धनराशि वर्ष-2019 तक बकाया के रूप में आकलित की गई। उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन प्राधिकरण के आदेश दिनांक 07.09.2019 के द्वारा निरस्त करते हुये प्राधिकरण द्वारा प्लॉट का कब्जा ले लिया गया है।

2. आवंटी द्वारा उपरोक्त भूखण्ड पर पेट्रोल पम्प स्थापित न करने के विषय में आयल कम्पनियों द्वारा योजना प्रचारित न करने का तर्क दिया गया। आवंटी द्वारा कालान्तर में उपरोक्त भूखण्ड पर रा-मटेरियल बैंक-कम वेयर हाउस बनाने की मांग की गई, जिसे प्राधिकरण द्वारा अस्वीकार किया गया। आवंटी द्वारा निरस्तीकरण आदेश दिनांक 07.09.2019 के विरुद्ध सिविल जज सीनियर डिवीजन, बाराबंकी में वाद संख्या-286/2019 दाखिल किया गया जिसमें मा0 न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 09.01.2020 द्वारा यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत आवंटी द्वारा पिछले 20 वर्षों में जिस परियोजना के लिए भूमि आवंटित करायी गई थी उसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका है। अतः प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया आवंटन निरस्तीकरण आदेश उचित है और उसमें


किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्राधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय में लम्बित वाद के सापेक्ष प्रभावी पैरवी करते हुये स्थगन आदेश को निरस्त करने की कार्यवाही की जानी चाहिए। आबंटी द्वारा उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट-1973 की धारा-41(3) सहपठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 की धारा-12 के अन्तर्गत दायर किया गया रिवीजन याचिका को निरस्त करते हुये निस्तारित किया जाता है।

मनोज कुमार सिंह
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त

संख्या 4636(1)/77-4-23, तददिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू0पी0सीडा, कानपुर।
2. श्री वैभव गोयल पुत्र श्री गोपाल चन्द्र अग्रवाल, बी-322 सेक्टर-बी, महानगर, लखनऊ।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार)
अनुसचिव